तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर/5109/2003/अजमेर नाहर सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
04.07.24	**एकल–पीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अभिभाषक प्रार्थी श्री खुर्शिद अनवर, उपराजकीय अभिभाषक **–आदेश–** हस्तगत् निगरानी राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट, 1952 की धारा 23 बी के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा राजस्थान लोक अभिपाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर (पीडीआर), अजमेर के समक्ष प्रार्थी के विरूद्व वसूली की कार्यवाही इस आधार पर की गई कि सिंचाई परियोजना की बाई मुख्य नहर आरडी 27309 से 29460 मी. संविदा संख्या 12, वर्ष 1979–80 के निमार्ण का ठेका दिया गया था तथा उक्त कार्य प्रार्थी को दिनांक 08–06–1979 से प्रारम्भ करते हुए 07–06–1980 तक पूर्ण करना था, उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने व उक्त कार्य अन्य ठेकेदारों से करवाये जाने के आधार पर प्रार्थी से राशि 191032/– वसूली की कार्यवाही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही को नियमानुसार मानते हुए वसूली को सही माने जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर उक्त निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी याचिका पर बहस सुनी गई।	

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका पर बहस करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को सिंचाई परियोजना की बाई मुख्य नहर आरडी 27309 से 29460 मी. संविदा संख्या 12, वर्ष 1979–80 के निमार्ण का ठेका दिया गया था तथा उक्त कार्य प्रार्थी को दिनांक 08–06–1979 से प्रारम्भ करते हुए 07–06–1980 तक पूर्ण करना था, परन्तु उक्त कार्य को सम्पूर्ण करन हेतु काफी काश्तकारों की भूमि आ रही थी तथा अनुबंध पूर्ण करने से पूर्व उन सभी काश्तकारों को नहर में आई भूमि की एवज में मुआवजा राशि प्रदान की जानी चाहिए थी, उक्त कार्य अर्थात ग्रामीण काश्तकारों को उनकी नहर में आई भूमि की एवज में मुआावजा राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उन काश्तकारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने दिया गया तथा इस आशय के बाबत् प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अवगत भी कराया गया परन्तु उनके द्वारा ऐसे काश्तकार जिनकी भूमि कार्य पूर्ण करने में आ रही थी, मुआवजा राशि निर्धारित समयावधि में प्रदान नहीं किये जाने कारण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा सका। इसमें प्रार्थी की कोई उदासीनता नहीं रही है, वरन् अप्रार्थी की गलती व उदासीनता का खामियाजा ही प्रार्थी को मिला है। उक्त आशय का कथन प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुआवजा राशि को निरस्त करने की मांग किये जाने पर भी उनके द्वारा प्रार्थी की उक्त मांग को अस्वीकर करते हुए मुआवजा राशि वसूल करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु ड्रांईग भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा इस संबंध में प्रार्थी द्वारा समय–समय पर अप्रार्थी को अवगत भी करवाया गय था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा स्वयं के द्वारा कारित की गई उदासीनता का भार प्रार्थी पर डाला गया है। प्रकरण में स्पष्ट रूप से अप्रार्थी द्वारा निरन्तर उदसीनता का भाव रखने के कारण निमार्ण कार्य में प्रगति नहीं हो सकी तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। उपरोक्त तमाम तथ्यों के बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश पारित किये गये है, जो निरस्त योग्य होने से प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी के विरूद्व कायम की गई वसूली को निरस्त किया जावे।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने व प्रार्थी को

आवंटित कार्य अन्य ठेकेदार से पूर्ण करवाये जाने के कारण प्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार वसुली की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी को आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना था तथा इस हेतु समयावधि भी निर्धारित की गई थी तथा उक्त निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण की प्रार्थी के विरूद्व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् आदेश है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी प्रस्तुत निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी को सिंचाई परियोजना की बाई मुख्य नहर आरडी 27309 से 29460 मी. संविदा संख्या 12, वर्ष 1979–80 के निमार्ण का ठेका दिया गया था तथा उक्त कार्य प्रार्थी को दिनांक 08–06–1979 से प्रारम्भ करते हुए 07–06–1980 तक पूर्ण करना था। प्रार्थी द्वारा उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण नहीं किये जाने व उक्त कार्य अन्य ठेकेदार से करवाये जाने के आधार पर राशि 191032/– वसूली की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि अप्रार्थी द्वारा जिन काश्तकारों की भूमि उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु आ रही थी, उन्हें मुआवजा राशि प्रदान नहीं किये जाने के कारण व ड्रांईग उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23–07–1980 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पक्का कार्य मानसून क बाद पूर्ण कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कथन कि काश्तकारों को मुआवजा राशि प्रदान नहीं किये जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी स्वयं के द्वारा कारित की गई उदासीनता का भार अप्रार्थी पर नहीं डाल सकता है। जबकि कार्य आवंटित करते समय समयावधि को निर्धारित किया गया था, उक्त शर्त के अनुसरण में ही प्रार्थी द्वारा कार्य को किया जाना स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के आधार पर व उक्त कार्य अन्य ठेकेदार से पूर्ण करवाये जाने के आधार पर ही प्रार्थी के विरूद्व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गई है तथा उक्त आदेश की पुष्टि

	प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के माध्यम से ऐसा कोई नवीन तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके। लिहाजा प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है। परिणामतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर (पीडीआर), अजमेर का आदेश दिनांक 28–04–2003 व राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का आक्षेपित आदेश दिनांक 08–08–2003 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर व आदेश की सूचना जरिये अभिभाषक उभय पक्षों को दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कमला अलारिया) सदस्य	